प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00974/2022-2023

दिनांक 06/07/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/SUL/05439/2022-2023 पत्रावली संख्या:F-45138 दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **लालपती मुनेसरा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना कूडेभार, तह0 बल्दीराय, जिला सुलतानपुर, उ0प्र0, सुलतानपुर, 228151** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-521/2017-2018 दिनांक-01/06/2017 को दिनांक-01/06/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 06/07/2022 2:41:07 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-06/07/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AD 460280

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म सोसाइटियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/08/17

लालपती मुनेश्वरी शिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान ... ५/138
सुल्तानपुर
स्मृति पत्र

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AD 460281

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

लालपति मुनेश्वरी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पंजी० 45138 सुलतानपुर निबन्धन

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

(स्मृति पत्र)

1. संस्था का नाम : **लालपती मुनेसरा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान**
2. संस्था का पता : ग्रा0–मैरोपुर, पो0–बरियौना (कूड़ेभार), तह0–बल्दीराय, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
2. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु स्कूल, विद्यालय, कालेज, एवं महाविद्यालयो की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था करना।
3. ज्ञान वर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना, तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार–प्रसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
4. गरीब एवं असहाय बच्चों, महिलाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग एवं शिल्पकला, काष्ट कला, दरी–कालीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
5. कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों व युवतियों को संस्था से जोड़कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना एवं गरीब असहाय महिलाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
7. कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा प्रदर्शनी शिक्षा केन्द्रों, इन्स्टीट्यूट की स्थापना व शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान, ''स्कूल चले हम'' जैसे सरकारी अभियानो को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
8. समाज के मूक बधिरों, विकलांगो, नेत्रहीनो, विधवाओ, वृद्धो, मजदूरों, कारीगरों, तथा निराश्रितों बेरोजगारो के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना तथा वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना कर उनका निःशुल्क संचालन करना।
9. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगो के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरो का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगो मे आपसी सौहार्द एवं विश्व बन्धुत्व की भावना जागृत करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
03/08/17

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

शेष .... पृष्ठ (२) पर

12. शिक्षा के उन्नयन हेतु नवीनतम् तकनीक, प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं आयुष शिक्षा, बी0एड0/बी0पी0एड0/ बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

13. साइंस एण्ड टेक्नोलाजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं उपभोक्ता कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संस्थान व जनकल्याण के क्षेत्र मे मिलजुलकर कार्य करना। तकनीकी प्रशिक्षण एवं आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं संचालन करना।

14. कृषि पर आधारित ग्रामोद्योग जैसे बीज उत्पादन, फल संरक्षण, कृषि वनिकी, मछली पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उत्पादन करना।

15. कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रो, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषको को दिलाना एवं विभाग/कृषि विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित कार्यक्रमो को संचालित करना जैविक खाद के प्रचार प्रसार के माध्यम से कृषको को कृषि उत्पादन हेतु जागरूक करना तथा कृषि/कृषक सेवा केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना।

16. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

17. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, गौ संरक्षण, गौ पालन, भूमि एवं जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु–पक्षी (जीव–जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

18. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप–शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्टाहार, मिड डे मिल एवं शैक्षिक परिभ्रमण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

20. बाल विकास हेतु सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य करना। महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग देना तथा महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वाबलम्बी बनाना तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना।

21. एड्स, कैन्सर, पोलियो, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

शेष .... पृष्ठ (३) पर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

22. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं जल व भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों आदि को निःशुल्क सहायता प्रदान करना।
23. नयी युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
24. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन/जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों कुटीर उद्योगों, रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार–प्रसार करना।
25. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यों में कार्यदायी संस्था के रूप में सहभागिता करना। तथा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए देशी विदेशी संस्थाओ से दान अनुदान प्राप्त करके जनहित में कार्य करना।
26. पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण व उससे होने वाले बीमारियों के बचाव की जनजागृति पैदा करना, रेशम उद्योगों शहतूत वृक्षारोपण तथा शहतूत की विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करना तथा हरे वृक्ष काटने वाले के विरूद्ध सामाजिक जनचेतना जागृति करना।
27. आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करना, शोध करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व औषधि एवं सुगन्ध पौधों की खेती कर चेरीटेबुल कार्यो में व्यय करना।
28. वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव गैस का प्रचार–प्रसार करना करना।
29. बालवाड़ी तथा आँगनबाड़ी कार्यक्रम एवं ट्राइसम योजना के द्वारा महिला विकास तथा शिशु विकास करके समाज को आगे बढ़ाना एवं बाल विकास, महिला कल्याण तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण व स्वास्थ्य शिविरों का निःशुल्क आयोजन करना।
30. दैवी आपदाओं में जैसे–बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, तूफान, आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।
31. सामज में डीजल से आत्म निर्भर बनाने हेतु बायोडीजल प्लान्ट (जेट्रोफा) की खेती के बारे में एवं भारत सरकार की योजना को संचालित करना तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।
32. बाल तथा बंधुवा मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना विभिन्न कार्यक्रमों को संचाहित करना तथा भारतीय ग्रामो के बालक/बालिकओ, श्रमिको एवं राजगीरो के उत्थान के लिए ग्रामोद्योग एवं हस्तकला तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था करना।
33. समाज मे व्याप्त दहेज अंधविश्वास दहेज उत्पीडन, मद्य निषेध, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना।
34. संस्था द्वारा चिन्हित ग्रामो को एक आर्दश ग्राम के रूप में विकसित करना। सरकार द्वार संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानंत्री स्वच्छता अभियान महिला सशक्तिकरण योजना, अम्बेडकर ग्राम सुधार योजना आदि योजनाओ में सहयोग करना।
35. किशोरी योजना के अन्तर्गत महिला एवं बालिकाओ को प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वावलम्बी बनाना।
36. पशुओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

शेष पृष्ठ (४) पर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद (उ० प्र०)
03/08/17

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते व पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री श्याम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	संरक्षक	नौकरी
2.	श्री विशेष कुमार सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	अध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री अजय श्रीवास्तव पुत्र श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव	शास्त्री नगर, फैजाबाद	उपाध्यक्ष	नौकरी
4.	श्री अखिलेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	प्रबन्धक	नौकरी
5.	श्रीमती किरन सिंह पत्नी श्री अखिलेश कुमार सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	नौकरी
6.	श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	सचिव	कृषि
7.	श्री यशवन्त सिंह पुत्र स्व0 सत्य नारायण सिंह	ग्रा0 भैरोपुर, पो0 बरियौना (कूड़ेभार), जिला सुलतानपुर	संयुक्त सचिव	वकालत
8.	श्री काली प्रसाद मौर्य पुत्र श्री विश्राम मौर्य	ग्रा0 फत्तेपुर, पो0 मायंग, जिला सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	नौकरी
9.	श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद सिंह	ग्रा0 नागीपुर, पो0 सराय सागर जिला फैजाबाद	आडीटर	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अर्न्तगत समिति को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

(सत्य प्रतिलिपि)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद

23/08/17

दिनांक : 05-05-2017

हस्ताक्षर

अखिलेश कुमार सिंह

श्रीमती किरन सिंह

विशेष कुमार सिंह

सुनील कुमार सिंह

Kali Maurya

Ajai Srivastava

कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar

(नियमावली)

1. संस्था का नाम : लालपती मुनेसरा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता : ग्रा0–भैरोपुर, पो0–बरियौना (कूड़ेभार), तह0–बल्दीराय, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 1,000/–नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 100/– वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति : सदस्यता की समाप्ति के आधार निम्नवत होंगे :–
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
   4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
   6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
   7. त्याग–पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

सत्य प्रतिलिपि

6. संस्था के अंग (1) साधारण सभा
   (2) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :–

गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दिया जायेगा।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :
साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा द्वारा 2/3 सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

शेष .... पृष्ठ (२) पर

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

प्रबन्धकारिणी समिति :–

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिते का गठन होगा। जिसमें संरक्षक एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, सचिव एक, संयुक्त सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, आडीटर एक होगे। इस प्रकार कुल संख्या 09 होगी।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित ऐजेण्डे से दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :–

1. संस्था के उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हल्पेज इण्डिया, आफ्सफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उ0प्र0, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्प संख्यक विभाग/बोर्ड उ0प्र0, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्त्रोतो से ऋण, दान अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. संस्था की शाखाओं एवं उपसमितियों का गठन करना तथा उन पर नियंत्रण रखना।
6. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–**

संरक्षक : संस्था की चल अचल सम्पत्ति की देख रेख व सुरक्षा करना।

अध्यक्ष :
1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत रखना।
4. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना तथा उनके कार्यो में सहयोग देना।

प्रबन्धक :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होगा।
2. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा अभिलेखों एवं पत्र को सुरक्षित रखना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रगति सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित करना।

शेष ....पृष्ठ (३) पर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
03/08/17

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

विशेष कुमार सिंह
सुनील कुमार सिंह

4. कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना तथा सन्दर्भ नियुक्ति करना।
5. कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि, निलम्बन, निष्कासन तथा नियुक्ति करना।
6. संस्था की समस्त चल अचल सम्पति की देख रेख व सुरक्षा करना।
7. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
8. समस्त बिल तथा बाउचर पर हस्ताक्षर करना।
9. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय की स्वीकृति करना।
10. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
11. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण करना।
12. आय–व्यय का निरीक्षण करना।
13. सदस्यता हेतु अन्तिम निर्णय लेना तथा किसी भी पदाधिकारी/सदस्य के अनैतिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर उसके निष्कासन की कार्यवाही करना।

सचिव :
1. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना।
2. कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।
3. संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
4. अन्य कार्य संस्था के हित में करना।

संयुक्त सचिव : सचिव की अनुपस्थिति में कार्य करना तथा उनके कार्यो में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष :
1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा करना।
2. दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना।
3. समिति के धन को स्थानीय बैंक में जमा करना तथा जरूरत पड़ने पर प्रबन्धक के हस्ताक्षर से रूपया निकालना।
4. संस्था के विकास में सहयोग देना।

आडीटर : संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

10. <u>संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया</u> :–
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

11. <u>संस्था का कोष</u> : संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/सहकारी बैंक/शेड्यूल बैंक/पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन (आहरण) प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. <u>संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट</u> :–
संस्था का समस्त आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. <u>संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व</u>
संस्था द्वारा होने वाले समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी प्रबन्धक द्वारा ही किया जायेगा या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. <u>संस्था के अभिलेख</u> : (1) सदस्यता रजिस्टर (2) कार्यवाही रजिस्टर (3) स्टाक रजिस्टर (4) कैश बुक आदि (5) एजेण्डा रजिस्टर

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक 25.05.2017 हस्ताक्षर

विशेष कुमार सिंह
अनील कुमार सिंह

Principal
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur

Manager
Lalpati Public School
Bhikharpur, Sanjay Nagar
Kurebhar, Sultanpur